

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

पत्रांक:- 60/12 का0प्र0 -- 2007

दिनांक 11 / 01 / 2008 ।

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या-834/111 (1)/06-190 पी0डब्लू0डी0-टी0सी0-2. दिनांक-6.10.2006 के क्रमांक-28 इलेक्ट्रीशियन, क्रमांक-31(1) कारपेन्टर, क्रमांक-31(1) प्लम्बर, क्रमांक-34 कुक, क्रमांक-35 वर्क एजेन्ट/मिस्त्री क्रमांक-36 मेट क्रमांक-37 बेलदार के स्वीकृत पदों का क्षेत्रवार विभाजन टिप्पणी का अनुपालन करते हुए निम्नवत एतद्वारा किया जाता है।

क्र0 स0	पदनाम	वेतनमान	पूर्व आवंटित पद		अतिरिक्त पदों का आवंटन		योग		कुल योग
			ग0क्ष0	कु0क्ष0	ग0क्ष0	कु0क्ष0	ग0क्ष0	कु0क्ष0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	इलेक्ट्रीशियन	2750-4400	19	7	11	9	30	16	46
2	कारपेन्टर	2550-3200	6	1	8	6	14	7	21
3	प्लम्बर	-तदैव-	7	2	6	6	13	8	21
4	कुक	-तदैव-	7	2	5	3	12	5	17
5	वर्क एजेन्ट/ मिस्त्री	2610-3540	238	136	262	156	500	292	792
6	मेट	-तदैव-	551	305	30	58	581	363	944
7	बेलदार	2550-3200	2371	1400	80	109	2451	1509	3960

टिप्पणी:-

- 1- कुल पदों की क्षेत्रवार स्वीकृत संख्या कालम 8 एवं 9 के अनुसार होगी।
- 2- मृत संवर्ग के पदों का आवंटन पूर्वतः यथावत रहेगा। मृत संवर्ग में कार्यरत कर्मी जैसे- जैसे संवानिवृत्त होंगे तदोपरान्त पद समाप्त हो जायेंगे।
- 3- मृत संवर्ग में कार्यरत कर्मी का पद परिवर्तन समकक्ष पद पर कर लिया जाय।
- 4- वर्क एजेन्ट प्रत्येक कानिष्ट अभियन्ता(सिविल) के साथ एक निर्दिष्ट है।
- 5- भातनीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका एस0 एल0पी0(सी0)संख्या 9103-9105/2001कर्नाटक सरकार बनाम उमा देवी एवं अन्य में कार्यप्रभारित /दैनिक अतन से विनियमित करके सरकारी सेवा में रखने की कार्य पद्धति को संविधान के प्राविधानों के विरुद्ध घोषित किया है। शासनादेश संख्या 46/लो0नि0वि0-2/2003-806 पी0डब्लू0डी0/2001-टी0सी0-11 दिनांक 3-1-2003 से निर्धारित विनियमितिकरण प्रक्रिया बाधित है। अतः कोई विनियमितिकरण न किया जाये।

मुख्य अभियन्ता स्तर-1

लो0नि0वि0, देहरादून

प्रतिलिपि राचिव, उत्तराखण्ड शासन लो0नि0वि0की सेवा में सूचनार्थ।

प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता गढवाल/कुमायू क्षेत्र लो0नि0वि0 पौडी/ अल्मोडा।